निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 106 वर्ष 2016-17

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक, उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, देहरादून, उत्तराखंड**, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **निदेशक, उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, देहरादून, उत्तराखंड,** के माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री अक्षय रूडोला, लेखापरीक्षक तथा श्री राजेश कुमार सिन्हा, एवम श्री अक्षय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा श्री सुधीर श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 10.01.2017 से 21.01.2017 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सौरभ कुमार सिंह, लेखापरीक्षक तथा श्री संजीव कुमार एवं श्री सुनील दत्त, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 15.10.2015 से 29.10.2015 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2014 से 03/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2015 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(ii) (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः ईकाई द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी थी।

(iii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2013-14	-	3317.97	390.96	459.61	5721.35	5905.61	68.65	3133.71
2014-15	-	847.37	360.00	520.65	2764.90	2308.69	160.65	1303.58
2015-16	-	1881.00	360.00	519.42	8727.87	3565.25	159.42	7043.62
2016-17 (11/16 तक)		7310.98	288.00	288.00	1178.47	2011.05	-	6478.40

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(` लाख रु. में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य (+)	बचत (-)
2013-14	Energy conservation	1611.11	20.20	19.55	1611.76	0.65
	Rajiv Gandhi AUD	-8.88	0.24	-	-8.64	-

2014-15	Energy conservation	1.62	46.56	59.10	-10.92	-
	Rajiv Gandhi AUD	-8.64	-	0.45	-9.09	-
2015-16	Energy conservation	149.61	338.77	92.04	396.34	246.73
	Rajiv Gandhi AUD	-9.09	-	0.39	9.48	-
2016-17(11/16 तक)	Energy conservation	396.34	-	324.89	-	71.45
	Rajiv Gandhi AUD	-9.48	-	-	-	-

(iv) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन एवं भारत सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई अ श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

(v) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

अध्यक्ष

↓

निदेशक

↓

मुख्य परियोजना अधिकारी

↓

उप- मुख्य परियोजना अधिकारी (04)

↓

परियोजना अधिकारी (जनपद स्तर पर)

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **निदेशक, उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, देहरादून, उत्तराखंड,** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **निदेशक, उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, देहरादून, उत्तराखंड,** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07/2015 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया था।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग दो 'अ'

प्रस्तर:1- उचित स्थल का चयन न किये जाने एवं उचित नियोजन के अभाव में □ 55.00 लाख का निष्फल व्यय किया जाना।

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत निगोल गाड लघु जल विद्युत परियोजना (क्षमता 100 K.W.) हेतु राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड सकरा द्वारा □ 155.53 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। (मार्च 2009) इस परियोजना से उत्पादित विद्युत को ग्रिड में प्रवाहित किया जाना था तथा इसके निर्माण पर आने वाली लागत को क्रेन्द्रांश एवं राज्यांश से वहन किया जाना था। उरेडा द्वारा इस परियोजना की ड्राइंग एवं Design A.H.E.C., ITI Roorkee द्वारा तैयार करवाई गयी थी। उपरोक्त योजना की स्थापना, कमीशनिंग एवं प्रशिक्षण आदि कार्यों हेतु त्रिपक्षीय अनुबंध क्रमशः (1) नैल बागेश्वर ऊर्जा समिति (2) वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र (A.H.E.C.) IIT Roorkee & (3) उरेडा के मध्य किया गया था। (मई 2010) समस्त कार्य 24 माह में, प्रभावी तिथि से, के अन्दर पूर्ण किया जाना था। A.H.E.C., IIT Roorkee द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु Final drawing निदेशक उरेडा को जुलाई 2010 में प्रेषित कर दिया था। जिसको वरि. परियोजना अधिकारी, उरेडा चमोली द्वारा स्थल के अनुरूप उपयुक्त माना था। परियोजना के निर्माण पर व्यय होने वाली धनराशि के सापेक्ष 92 प्रतिशत धनराशि उरेडा द्वारा 8 प्रतिशत धनराशि संबंधित ऊर्जा समिति द्वारा सहभागिता अंशदान के रूप में त्रिपक्षीय अनुबंध में वर्णित शर्तो के अनुरूप वहन की जानी थी। निर्माण कार्यों हेतु A.H.E.C., IIT. Roorkee तकनीकी सहयोगी संस्था थी। उरेडा का उत्तरदायित्व परियोजना के निर्माण के दौरान नियमित रूप से कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण तथा डी.पी.आर. की विशिष्टियों के अनुरूप लाभार्थी संस्था से कार्य पूर्ण समयानुसार कराना था।

उपरोक्त के संदर्भ में उरेडा मुख्यालय के अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित तथ्य पाये गये।

1. निदेशक M.N.R.E. (Ministry of New and Renewals Energy) भारत सरकार द्वारा माह जनवरी 2011 के अन्तिम सप्ताह में निर्माणाधीन निगोलगाड परियोजना का भ्रमण किया एवं परियोजना के फीडर/पावर चैनल आर.आर. स्टोन मेशेनरी होने के कारण एक स्थान पर लगभग 100 मीटर लम्बाई में वर्षाकाल में नदी से क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना व्यक्त की। उक्त के क्रम में Head, A.H.E.C., IIT. Roorkee के वर्णित स्थल पर भ्रमण कर बताया Power hannel & Feeder Channel likely to be damaged due to flood & support required for he power channel in the hard rock area. तत्पश्चात फीटर एवं पावर चैनल के सुरक्षा कार्यों हेतु सुरक्षा दीवारो की ड्राइंग पुनः बनाकर प्रेषित किया गया।
2. उक्त परियोजना के निर्माण में अनियमिताओं के कारण जिलाधिकारी द्वारा उपरोक्त परियोजना का निर्माण कार्य नवम्बर 2011 से फरवरी 2013 तक रोका गया था।
3. मई 2014 में A.H.E.C., IIT. , Roorkee के स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार Desilting Tank का निर्माण ड्राइंग के अनुरूप नहीं किया गया था जिस पर सुझाव दिया गया कि इसे तोड़कर पुनः बनाया जाये। इस प्रकार इस निर्माण पर किया गया व्यय □ 7,27,000- व्यर्थ हो गया। साथ ही सुझाव के अनुसार पावर चैनल की लं0 को कम करने, पेन स्टाक की लं. भी बढ़ाने एवं पावर व फीटर चैनल में कवरिंग के रूप के Additional protection work दिये जाने हेतु कहा गया। परियोजना अधिकारी द्वारा उपरोक्त सम्पूर्ण कार्य को पूर्ण करने में लगभग 1.61 करोड़ रू. की जरूरत बतायी एवं यह भी कहा गया की वर्तमान स्थिति में योजना के निर्माण के उपरान्त भी भूस्खलन से क्षतिग्रस्त होने के खतरा रहने के कारण योजना को इसी हालत में बंध करने हेतु कहा गया।

4. योजना पर अब तक कुल □ 55.00 लाख का व्यय किया जा चुका था।योजना हेतु जिस स्थल का चयन किया गया था, M.N.R.E. द्वारा उपरोक्त स्थल पर कार्य को वर्षाकाल में नदी से क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना के अनुसार विभाग द्वारा उचित स्थल चयन नहीं किया गया एवं 7 वर्ष उपरान्त □ 55.00 लाख के व्ययोपरान्त विभाग उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा।

प्रकरण इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा उत्तर में बताया गया कि M.N.R.E. आपत्तियों के निराकरण हेतु सुरक्षा दीवारों का कार्य कराया गया था। परन्तु जुलाई 2012 को भारी वर्षा के कारण नहर के नीचे पुस्ता खिसकने से नहर क्षतिग्रस्त (निगोलगाड परियोजना की नहर) हो गयी। समिति द्वारा पुनः कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया। परियोजना के अवयवों का निर्माण ठोस खड़ी चट्टानो के नीचे होना है तथा जिसेक कारण सुरक्षा दीवारों एवं रिटेनिंग दीवारों का अत्यधिक कार्य सम्पन्न होना है, जिस हेतु अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत होने के उपरान्त ही इस कार्य को कराया जाना सम्भव होगा। योजना स्थल में परिवर्तन प्रारम्भ में ही संभव होता है। फीडर चैनल के निर्माण उपरान्त योजना का शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इस योजना को शिफ्ट करने हेतु उपयुक्त जगह भी उपलब्ध नहीं है।

डिसिल्टिंग टैंक का निर्माण ड्राइंग के अनुसार न किये जान पर विभाग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

विभाग के उत्तर से ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त परियोजना के निर्माण हेतु योजना का अत्यधिक अभाव था। A.H.E.C., IIT Roorkee द्वारा प्रारम्भ में ड्राइंग बनायी गयी उसे M.N.R.E. द्वारा वर्षाकाल में नदीं से क्षतिग्रस्त होने की संभावना बतायी गयी। पुनः IIT Roorkee द्वारा ड्राइंग बनायी गयी एवं उपरोक्त परियोजना बाद में वर्षा से क्षतिग्रस्त हो गयी जबकि परियोजना स्थल को लेकर विभाग द्वारा कोई गंभीरता नहीं दिखाई गयी। एवं उचित नियोजन के अभाव में एवं वर्तमान में योजना में अत्यधिक व्यय की संभावना को देखते हुये उपरोक्त परियोजना को बंद करने की संस्तुति किये जाने के कारण, उपरोक्त योजना पर किया गया व्यय □ 55.00 लाख व्यर्थ साबित हो गया।

प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II 'अ'

प्रस्तर 2- वन भूमि अधिग्रहण से पूर्व परियोजना पर कार्य कराये जाने के कारण व्यर्थ व्यय:- `81.23 लाख

उरेड़ा के प्रस्ताव दिनांक 12.10.2011, जिसमे 02 ग्रामो एवं 05 तोकों (hamlets) की विद्युतीकरण प्रस्तावित थी, के आलोक में Rural Electrification Corporation Limited (RECL) द्वारा टिहरी जनपद के भिलांगना खण्ड के गंगी ग्राम में 200 KW की क्षमता वाली लघु पनबिजली परियोजना के निर्माण हेतु `274.35 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। स्वीकृति के अनुसार उरेड़ा को भारत सरकार के guidelines (12.01.2009) एवं त्रिपक्षीय समझौता को क्रियान्वित करना था। परियोजना के लिये M/s Baghnath Enterprises, Bageshwar, (Developer) के साथ अनुबन्ध जुलाई 2012 में गठित की गयी थी। अनुबंधानुसार कार्य को 24 माह के अंदर पूर्ण करने के साथ 5 वर्ष Build, Operate, Maintain and Transfer (BOMT) basis पर लागू किया जाना था। परियोजना के सम्पादन के लिए 10 जुलाई 2012 को त्रिपक्षीय समझौता, जो कि RECL, उरेड़ा एवं उत्तराखण्ड सरकार के मध्य हुआ था। समझौता के अनुसार उरेड़ा एवं राज्य सरकार द्वारा Developer का चयन किया जाना था।

कार्यालय उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण देहरादून के अभिलेखो की लेखापरीक्षा की जांच से ज्ञात होता है कि भूमि अधिग्रहण नहीं होने के कारण अनुबन्ध गठन के छह महीने व्यतीत हो जाने के बावजूद भी कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका था। मार्च 2013 में उरेडा टिहरी द्वारा मुख्य परियोजना अधिकारी को यह सूचना प्रेषित की गयी थी कि 0.155 Hectare नाप भूमि एवं 0.87 Hectare सिविल भूमि उरेड़ा को हस्तांतरित करने के लिए सहमति प्रदान कर दी गयी थी। इसके साथ ही, यह भी सूचित किया गया था कि परियोजना के निष्पादन हेतु 2.143 Hectare वन भूमि भी चिन्हित की गयी थी। प्रभागीय वन अधिकारी, टिहरी के पत्र दिनांक 10.02.2014 से ज्ञात होता है कि उरेड़ा द्वारा Fact Sheet 0.043 Hectare वन भूमि दर्शायी गयी थी जबकि आरक्षित भूमि के schedule में 2.143 Hectare भूमि को प्रभावित दर्शाया जा रहा है। इसी प्रकार, अपर प्रमुख वन संरक्षक, देहरादून (जुलाई 2014) के पत्र में भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव में विभिन्न कमियो को इंगित किया गया था। परियोजना अधिकारी, टिहरी के पत्र (5 जनवरी 2017) से ज्ञात होता है कि 2.143 Hectare वन भूमि को 30 वर्ष के लिए lease पर प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि / पत्रावली संख्या FP/UK/HYD/11086/201 के द्वारा मई 2015 में उपलब्ध करा दिया गया था परन्तु वन संरक्षक, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा भी इस प्रस्ताव को विभिन्न आपत्तियो के साथ पुनः लौटा दिया गया था और यह अवगत कराया गया था कि 0.86 Hectare सिविल सोयम को सम्मिलित कर पुनः प्रस्ताव भेजा जाए। वन संरक्षक द्वारा यह भी इंगित कराया गया था कि सिविल सोयम भूमि जिस पर उरेडा द्वारा Power House का निर्माण करा दिया गया था, वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है।

अभिलेखो के अग्रेतर जांच से यह विदित होता है कि उरेडा टिहरी द्वारा अपने पत्र (5.01.17) में इस परियोजना को निम्नलिखित कारणो से निरस्त किए जाने की संस्तुति की गयी थी।

1. परियोजना के अंतर्गत लाभान्वित गाँव/ तोकों में 17 किलोमीटर लंबी 11 KV की high tension wire को बिछाने का कार्य भी वन भूमि क्षेत्र में ही प्रस्तावित है।

2. उक्त क्षेत्र के कई स्थानो पर महीनो बर्फ जमी रहती है जिसके कारण high tension wire के अनुरक्षण में कठिनाई होगी।
3. जिला अधिकारी टिहरी के सहमति को quote करते हुए यह इंगित किया गया है कि उन ग्रामो को सोलर पावर प्लांट लगाकर बिजली की आपूर्ति की जाए।

अभिलेखो में उपलब्ध अन्य बिन्दु के जांच में निम्नलिखित तथ्य अवगत हुए थे।

1. IIT-Roorkee की AHEC टीम परियोजना स्थल का 12.01.2014 को निरीक्षण किया गया था और यह पाया गया था कि Diversion, Feeder and Power channel पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ था।
2. Developer के पत्र (15.04.15) के अनुसार, Diversion एवं नहर का कार्य वन भूमि अधिग्रहण के कारण प्रारम्भ नहीं हो पा रहा था।

इस प्रकार, वन भूमि अधिग्रहण नहीं होने के कारण परियोजना पर कार्य वर्ष 2013 से बाधित है जबकि वर्तमान तक `81.23 लाख की राशि व्यय हो चुकी है। इन कारणो से उरेडा टिहरी द्वारा परियोजना को निरस्त किए जाने की संस्तुति, भी की गयी थी। इसके साथ यह भी इंगित किया गया है कि वन भूमि प्रत्यर्पण की संभावना क्षीण है। अत: `81.23 लाख की राशि का व्यय का निष्फलता और परियोजना के उद्देश्य की प्राप्ति ना होने की ओर इंगित करती है।

उरेडा मुख्यलाय द्वारा भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए बतलाया गया कि वन भूमि अधिग्रहण नहीं होने के स्थिति में परियोजना को निरस्त किये जाने के सिवा और कोई विकल्प नहीं होगा।

अत: परियोजना पर कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व यदि वन भूमि अधिग्रहण कर ली जाती तो `81.23 लाख को व्यर्थ होने से बचाया जा सकता था।

भाग-II (ब)

प्रस्तर 1- राज्य सरकार से प्राप्त राशि का अवरुद्ध रहना - `86.17 लाख

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 57/04/2011-**WE** दिनांक 22.02.2012 के द्वारा बछेलीखाल, टिहरी गढ़वाल में **2.4 MW Demonstration Wind Power Project (Grid Interactive Power Generation Project)** की स्थापना के लिए **`528.12** लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। परियोजना की कुल **tentative** लागत `12.92 करोड़ थी जिसमे केन्द्रीय वित्तीय सहायता की राशि `528.12 लाख थी। भारत सरकार द्वारा फ़रवरी 2012 में ही `132.03 लाख की राशि निर्गत की गयी थी। स्वीकृति के शर्तो के अनुसार, स्वीकृति की तिथि से 06 माह के अन्दर कार्य सम्पादन हेतु कार्यादेश निर्गत कर दिया जाना था। राज्य सरकार के द्वारा `100.15 लाख (मार्च 2013) की राशि मैचिंग ग्रांट के रूप में निर्गत कर दी गयी थी। उरेडा द्वारा इस प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु तीन बार निविदा आमंत्रण किए जाने के बावजूद निविदा प्राप्त नहीं हुआ था तथा अन्य कोई विकल्प नहीं होने के कारण उरेडा **General Body** के बैठक (27 मार्च 2015) यह निर्णय लिया गया कि परियोजना को निरस्त कर दिया जाए जबकि इस तिथि तक राज्य सरकार से प्राप्त ग्रान्ट से **`13.68** लाख राशि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने, निविदा प्रपत्र तैयार करने, निविदा के प्रकाशन एवं विधिक राय पर व्यय की जा चुकी थी। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार से प्राप्त राशि को समय पर कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण मई/ जून 2013 में वापस कर दिया गया था। परंतु, मार्च 2015 में परियोजना को निरस्त किए जाने के बावजूद राज्य सरकार को शेष राशि **`86.47** लाख (**`100.01 - `13.68** लाख) को वापस नहीं जो कि आतिथि तक अवरुद्ध पड़ी थी।

इस तथ्य को इंगित किए जाने पर, उरेडा द्वारा बतलाया गया कि राज्य सरकार से प्राप्त शेष राशि का छोटी पवन हाइब्रिड योजना की स्वीकृति हेतु पार्किंग की गयी थी। उरेडा का उत्तर वित्तीय नियम के सिद्धांतों के प्रतिकूल है और राज्य सरकार के प्राधिकार के बिना राशि को **parking** किया जाना राशि का अवरुद्ध किए जाने के समान है।

भाग 2 'ब'

प्रस्तर 2: उरेडा विभाग की उदासीनता के कारण □ 943.40 लाख खर्च होने के बाद भी विद्युत परियोजनाओ से किसी भी प्रकार के लाभ की प्राप्ति न होना I

उत्तराखंड के अविद्युतीकृत ग्रामो के विद्युतीकरण हेतु उरेडा द्वारा 12 लघु जल विद्युत परियोजनाओ के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी I उरेडा के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, पौड़ी एवं टिहरी की 1315 KW की पन बिजली उत्पादन के लिए परियोजनाओ को 24 माह के अन्दर पूर्ण करते हुए 20 ग्रामो एवं 07 तोको को लाभान्वित किया जाना था, जिस पर वर्ष 2015-16 तक कुल अवमुक्त केंद्रान्श व राज्यान्श □ 1112.59 लाख मे से □ 943.40 लाख व्यय किया गया थाI किन्तु परियोजनाओ की स्वीकृति के 06 से 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूर्ण नही किया गया है, जिसके कारण अभी तक परियोजनाओ से किसी भी तरह का लाभ नही लिया जा सका है I

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर उरेडा द्वारा इस सम्बन्ध मे अवगत कराया कि परियोजनाए ग्रामीण सहभागिता आधार पर निर्माण हेतु स्वीकृत है, जिनका निर्माण हेतु निविदा, निर्माण एवं निर्माण उपरान्त संचालन आदि समस्त प्रक्रिया ग्रामीण ऊर्जा समिति द्वारा किए जाने का प्राविधान है, जिसमे समितियों द्वारा रुचि न लिए जाने के कारण परियोजनाओ का कार्य विलम्बित है **I**

लेखा परीक्षा में उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि ऊर्जा समिति, आई0.आई.टी.रुड़की व उरेडा के बीच हुए त्रिपक्षीय अनुबन्ध के बिन्दु संख्या 12(घ) के अनुसार परियोजनाओ का निर्माण निर्धारित अवधि मे पूर्ण कराने, कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति के सम्बन्ध मे उरेडा के संबन्धित अधिकारी उत्तरदायी हैं जबकि अभिलेखों का रखरखाव उर्जा समिति द्वारा किया जाना है I निविदा आदि तैयार कर समिति को उपलब्ध कराने के लिए भी उरेडा के संबन्धित अधिकारी उत्तरदायी हैं I अनुबन्ध के बिन्दु 'ज' के अनुसार कार्य मे कमी अथवा कार्य पूर्ण न करने पर धनराशि रोकने एवं दी गयी धनराशि को शासन के माध्यम से वापस लेने का अधिकार उरेडा के पास है I इसके बावजूद भी विभाग द्वारा परियोजनाओ को पूर्ण करने के लिए कोई ठोस प्रयास नही किया गया है, जो कि विभाग की उदासीनता को दर्शाता है I यदि विभाग द्वारा कार्य समय पूर्ण किया जाता तो विद्युतीकरण से वंचित **20 ग्रामो व 7 तोको** को इसका लाभ दिया जा सकता था I

अतः उरेडा विभाग की उदासीनता के कारण □ 943.40 लाख खर्च होने के बाद भी विद्युत परियोजनाओ से कोई भी लाभ की प्राप्ति न होने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

प्रतिवेदन संख्या	अनिस्तारित प्रस्तर			
	भाग-2अ	कुल	भाग-2ब	कुल
113/2005-06	1,2,3	3	1	1
39/2007-08	1, 2	2	1, 2,3,4	4
11/2009-10	-	0	1,2,3	3
13/2011-12	-	0	1,2,3,4,5,6	6
86/2014-15	2,3	2	1,2,3	3
77/2015-16	1	1	1	1
कुल		06		18

Note:- Kindly check the details of outstanding paras from headquarters' record.

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-शून्य-

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   (i) शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   (i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	**नाम**	**पदनाम**	
(i)	श्री आशीष जोशी	निदेशक	(दिनांक 13-02-14 से 04-10-16)
(ii)	श्रीमती ज्योति नीरज खैरवाल	निदेशक	(दिनांक 04-10-16 से अब तक)

4. विगत संप्रेक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबंद्ध रहें।

   1.

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (आर्थिक क्षेत्र-2), कार्यालय महालेखाकार, लेखापरीक्षा, 1/105सी इन्द्रा नगर, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक क्षेत्र-2